समाज के विभिन्न क्षेत्रों में महिला सहभागिता एवं शिक्षा का योगदान: एक अध्ययन

"बेटी बचाओ बेटी पढाओ"

डॉक्टर ऑफ़ फ़िलॉसफी की
उपाधि हेतु प्रस्तुत
शोध प्रबन्ध की रूपरेखा

निर्देशिका :

JV'n प्रो. डॉ. मंजू शर्मा
विभागाध्यक्ष

शोधकर्त्री :

JV'n श्रीमती मनोज शर्मा
JVR-I/21/5810

शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग
अनुसंधान और कार्य प्रणाली संकाय
ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान) 2021

प्रस्तावना

शिक्षा महिलाओं के विकास और उनके सशक्तीकरण का प्रथम और मूलभूत माध्यम है। यह माना जाता है कि शिक्षा के बिना महिला समाज में अपनी उपयोगी पहचान नहीं बना सकती है। शिक्षा के कारण ही उसमें दक्षता, कौशल, ज्ञान और क्षमताओं का विकास होता है। शिक्षित महिलाऐं स्वयं के साथ-साथ अपनी भावी पीढियों को भी लाभान्वित करती हैं।

महिला सशक्तीकरण में शिक्षा सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षित महिलाऐं समाज के कई क्षेत्रों में अपना योगदान दे रहीं हैं। आज महिलाऐं व्यापार, खेल, शिक्षा, विज्ञान, सरकारी नौकरियों और ऐसे प्रत्येक क्षेत्र में अपना योगदान और सहभागिता बढा रहीं हैं जो कभी केवल पुरूषों के अधिकार क्षेत्र ही माने जाते थे। आज महिलाऐं राजनीति में सहभागिता बढा रहीं हैं, वह कला के क्षेत्र में, खेल और साहित्य के क्षेत्र के साथ आर्थिक व बैंकिंग क्षेत्र में भी अपनी सहभागिता बढा रहीं हैं। इसमें शिक्षा की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण रही है।

1.0.0. महिला सहभागिता .

इसमें राजनीतिक, आर्थिक, एवं सामाजिक सहभागिता को सम्मिलित किया जाता है। सहभागिता से तात्पर्य किसी भी प्रक्रिया और क्षेत्र में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कार्य करना है। पहले भी महिलाऐं अप्रत्यक्ष रूप से कार्य करती थीं परंतु उनकी सहभागिता की गणना नहीं हो पाती थी। अशिक्षित महिलाओं को अपने अधिकार और कानूनों की जानकारी नहीं थी। ऐसे में कई सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाती थीं।

खेल और कला के क्षेत्र महिलाओं के लिए बिल्कुल बंद ही थे परंतु अब स्थिति में परिवर्तन आ रहा है आज महिलाऐं शिक्षित हो रहीं हैं। इसके कारण उनका राजनीतिक, आर्थिक, खेल और अन्य क्षेत्रों में योगदान बढ़ रहा है।

1.1.0. राजनीतिक क्षेत्र में सहभागिता

जहाँ तक महिलाओं को पुरूषों के समान राजनीतिक सहभागिता का प्रश्न है, यह आज के विश्व की आधुनिक सभ्यता का चर्चित व चिंतनीय विषय हो गया है। कारण यह है कि पुरूषों के समान जनसंख्या वाली महिलाओं को विश्व के अधिकांश देशों में पुरूषों के समान राजनैतिक अधिकार अपेक्षित हैं। राजनीति में महिलाओं की समान सहभागिता के सवाल पर सन् 1997 में एक अन्तरसंसदीय सम्मेलन दिल्ली में आयोजित किया गया था जिसमें 77 विकसित देशों के

महिला प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। सम्मेलन में इस तथ्य को विशेष रूप से रेखांकित किया गया था कि विश्वभर में महिलाओं का राजनीति में प्रतिनिधित्व बहुत कम है।

संसद में महिलाओं की संख्या के आधार पर भारत का स्थान विश्वभर में 65वां है। एशिया में भी भारत का स्थान इस मामले में 11वां है। व्यवस्थापिका में महिलाओं की संख्या के मामले में एशिया में सर्वोच्च स्थान चीन का है। लेकिन वहाँ भी केवल 21 प्रतिशत महिलाएँ ही महत्त्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर हैं अर्थात एक चौथाई से भी कम।

1.2.0. सामाजिक-सांस्कृतिक व खेल के क्षेत्र में सहभागिता

आज महिलाऐं सिनेमा, नाटक, चित्रकला, एवं नृत्य आदि के क्षेत्र में योगदान दे रहीं हैं। सुधाचन्द्रन और गुलाबो के साथ ईला अरूण जैसी महिलाऐं आज एक उदाहरण है। महिलाओं का योगदान सामाजिक क्षेत्र के साथ खेल के क्षेत्र में भी बढ रहा है।

इसी प्रकार महिलाऐं आज खेल जगत में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इसमें पीटी उषा, कर्णम मल्लेश्वरी, अपर्णा पोपट, बुला चौधरी, बछेन्द्रीपाल, अंजलीवेद, एवं सानिया मिर्जा और अनगिनत महिलाऐं आज खेल के क्षेत्र में नाम रोशन कर रहीं हैं।

1.3.0. आर्थिक क्षेत्र में सहभागिता

आर्थिक क्षेत्र में भी महिलाओं की सहभागिता बढ रही है। वर्तमान में भारत की अर्थव्यवस्था महिला केन्द्रित हो रही है। इसमें खेती उत्पादन में महिलाओं की औसत भागीदारी का अनुमान कुल श्रम का 55 प्रतिशत से 66 प्रतिशत तक है। डेयरी उत्पादन में महिलाओं की कुल भागीदारी 94 प्रतिशत और श्रमिकों में महिलाओं का योगदान 54 प्रतिशत हो गया है। बैंकिंग क्षेत्र में भी महिलाओं की भागीदारी 18 प्रतिशत है।

आर्थिक सर्वेक्षण 2018 के अनुसार 80 प्रतिशत महिलाऐं आर्थिक समझ रखती हैं। 44 प्रतिशत महिलाओं के पास मोबाइल है। 2014 की गोल्डमैन रिपोर्ट के अनुसार उद्‌यमी महिलाओं के ऋण लेने में महिलाओं की संख्या पुरूषों से दोगुनी थी। भारत में माइक्रो फाइनेंस संस्थान बंधन बैंक में 97 प्रतिशत महिला ग्राहक हैं। आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं का योगदान बढ रहा है परंतु अभी भी केवल 13 प्रतिशत महिलाऐं ही काम के लिए घर से बाहर जाती हैं।

2.0.0. संबंधित साहित्य समीक्षा

1. महिला सहभागिता से संबंधित साहित्य का अध्ययन

चन्दोला, ज्योत्स्ना (2001) ने महिला राजनीतिक सहभागिता के संबंध में बताया है कि शिक्षित महिला राजनीतिक सहभागिता अधिक अच्छे तरीके से निभाती है और उसका कार्य पुरूष प्रतिनिधि से भी अच्छा होता है। अशिक्षित महिलाओं को राजनीतिक सहभागिता में मुश्किलें आती हैं। अतः आवश्यक है कि ग्रामीण महिलाओं की शिक्षा को अधिक से अधिक बढ़ाया जाए।

शर्मा (2002) के अनुसार संवैधानिक संशोधनों के उपरांत महिला सशक्तीकरण बढ़ा है। स्थानीय शासन की संस्थाओं का सशक्तीकरण हुआ है जिससे ग्रामीण विकास को भी गति मिलना प्रारंभ हुई है।

राठौड़ (2002) के अनुसार महिलाओं में अपने अधिकारों के प्रति चेतना आ रही है परंतु अभी वह अधिकारों के उपयोग में डरती है। उन्हें अपने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, स्वास्थ्य अधिकारों की जानकारी है। निकट भविष्य में यह हो सकता है कि महिलाऐं अपने अधिकारों का उपयोग प्रारंभ कर दे परंतु इस स्थिति में ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन आना आवश्यक है।

सिंह, वन्दना (2004) के अनुसार महिलाओं की राजनीतिक जागरूकता बढ़ नहीं रही है वह एक मुखौटे की तरह राजनीति में सहभागिता निभा रही है। पुरूष सदस्य उनके कार्य से अधिक संतुष्ट नहीं है। कार्य कौशल की कमी के कारण महिलाऐं अपने अधिकारों का उचित उपयोग नहीं कर पाती है और एक असफल सरपंच सिद्ध हो जाती है। इसके कारण वह आगे चुनाव नहीं लड़ पाती है। इसके साथ ही राजनीतिक दांव पेंचों से भी वह दूर रहती है जिसका नुकसान उन्हें उठाना पड़ता है।

अत्रे, वीना (2004), के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था में महिला सरपंचों का कार्य संतोषजनक है परंतु पुरूष सरपंचों की तुलना में उनका कार्य निम्न ही है। साथ ही महिला सरपंचों के अधिकांश निर्णय उनके पति ही लेते पाए गए है। महिला सरपंचों ने महिला विकास और उत्थान के कई प्रयास किए परंतु जागरूकता और ज्ञान की कमी के कारण वह पूर्णतः सफल नहीं हो पाए।

शर्मा, मंजु (2005) ने महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता में बताया है कि ग्रीमण क्षेत्र में केवल वह महिला ही राजनीतिक रूप से सक्रिय है जिनकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि है। इसमें भी इन महिलाओं के परिवारजन ही राजनीतिक निर्णय करते हैं। साधारण महिलाओं की

राजनीति में कोई विशेष जगह नहीं है और उन्हें राजनीति में पांव जमाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है।

त्यागी (2006) ने राजस्थान के टोंक जिले के अध्ययन में यह बताया है कि महिलाओं को अपने अधिकारों की जानकारी तो है परंतु सामाजिक दबाव के कारण वह अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं कर पाती हैं। आरक्षण द्वारा महिला सशक्तीकरण का प्रयास तो हुआ है परंतु वह अधिक सफल नहीं हो पाया है क्योंकि महिलाऐं आज भी सामाजिक रूप से अशक्त ही हैं और उनका घरेलू स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर शोषण हो रहा है और विचारणीय प्रश्न यह है कि ग्रामीण महिलाऐं इस शोषण के बारे में जानती तक नहीं हैं।

नॉर्थ यूनिवर्सिटी, अमेरिका द्वारा वर्ष 2006-07 में पश्चिम बंगाल के 495 गाँवों के 8,453 किशोर-किशोरियों और उनके माता-पिता पर किये गये सर्वे में यह तथ्य स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आया कि जिन गाँवों में महिलाओं के लिए आरक्षण नहीं था, वहाँ की तुलना में आरक्षण वाले गाँवों में माता-पिता के बीच बच्चों की शिक्षा को लेकर लिंगभेद 25 प्रतिशत और किशोरों में 32 प्रतिशत कम हुआ था। जिन गाँवों में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित थीं, वहाँ अधिक लड़कियाँ स्कूल जाती थीं और घर के कामों में कम समय बिताती थीं। 2008 के एक सर्वेक्षण के अनुसार मात्र 11 प्रतिशत स्त्रियों ने यह साहस दिखाया और वे भी हार गईं। एक तिहाई स्त्रियों ने माना कि उनके पतियों ने उन्हें दुबारा चुनाव लड़ने के लिए हतोत्साहित किया।

सिंह, सुमन (2007) ने पंचायती राज में महिलाओं के नेतृत्व के बारे में बताया कि पंचायती राज में महिलाओं का नेतृत्व तो बढ़ रहा है परंतु महिलाओं में राजनीतिक जागरूकता और राजनीतिक निर्णय क्षमता की कमी है। इसके कारण महिला नेतृत्व निम्न स्तर का रह जाता है और ग्रामीण क्षेत्रों में तो महिलाओं को नेतृत्व के काबिल नहीं माना जाता है और महिला प्रतिनिधियों के पति ही उनका कार्य करते है।

सोनी, दिलीप कुमार (2007) के अनुसार पंचायती राज में महिलाओं के सशक्तीकरण के प्रयास हुए हैं। इनमें महिला शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए बहुत कार्य हुआ है परंतु महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तीकरण पर अधिक प्रयास नहीं हो पाए हैं साथ राजनीति में महिला सशक्तीकरण की स्थिति मात्र दिखावा है।

सिंह, अनिल कुमार (2008) ने महिला नेतृत्व के बारे में कहा है कि नगरीय क्षेत्रों में महिला नेतृत्व बढ़ रहा है परंतु ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्र में महिला नेतृत्व की स्थिति अधिक

अच्छी नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में पुरूषवादी सोच ने महिलाओं को नेतृत्व के काबिल ही नहीं माना है। ग्रामीण क्षेत्र में महिला सशक्तीकरण के लिए आवश्यक है कि महिलाओं में शिक्षा का प्रसार किया जाए और सामाजिक जागरूकता फैलायी जाए। तभी जाकर महिला नेतृत्व का स्तर बढ़ सकता है। अभी भी ग्रामीण राजनीति में महिला प्रतिनिधि अपने पति और परिजनों की प्रतिनिधि बनी हुई है।

काला (2008) के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं की सफलता देश के विकास को निश्चित करती है। पंचायती राज व्यवस्था ही लोगों को यह एहसास दिलाती है कि वह भारत के महान् लोकतंत्र का हिस्सा है। इसके विकास के लिए सरकारों को और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है।

शंभूनाथ यादव (2010) के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था भारतीय लोकतंत्र का आधार है और पंचायती राज व्यवस्था ही लोकतंत्र की नींव है। बिना पंचायती राज सशक्तीकरण के ग्रामीण विकास और महिला सशक्तीकरण नहीं हो सकता है।

रघुवंशी, राखी (2010) ने महिला सशक्तीकरण की वर्तमान स्थिति और उसके प्रभावों के बारे में कहा है कि अभी महिला सशक्तीकरण का प्रारंभ उचित प्रकार से नहीं हो पाया है क्योंकि सशक्तीकरण की प्राथमिक आवश्यकता है महिला शिक्षा में वृद्धि और सामाजिक रूढ़ियों से स्वतंत्रता परंतु अभी भी ग्रामीण क्षेत्र इस आवश्यक शर्त को पूर्ण नहीं कर पा रहे है। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्र में महिला सशक्तीकरण की स्थिति बहुत धीमी है। इसे तेज करने के लिए महिला शिक्षा के साथ महिलाओं और पुरूषों को रूढ़िवादी सोच से बाहर निकालना आवश्यक है।

फारुक (2010) के अनुसार 73वें संविधान संशोधन के उपरान्त पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी तो बढ़ी है, लेकिन अभी समस्याएं खत्म नहीं हुई हैं। इन समस्याओं को खत्म करने का एकमात्र तरीका है कि ग्रामीण महिलाओं को साक्षर किया जाए। साथ ही उन्हें नए रोजगार कार्यों का प्रशिक्षण भी दिया जाए। शिक्षा के अभाव में महिला प्रतिनिधियों का उपयोग गलत तरीके से हो रहा है और अशिक्षा के कारण ही ग्रामीण महिलाऐं आज भी पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा, बाल विवाह जैसी रूढ़ियों की कैद में है।

इसके विपरीत पालीवाल एवं पालीवाल (2010) मानते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था के कारण महिला सशक्तीकरण हो रहा है। इससे महिलाओं में जागरूकता आयी है और वह घर की चारदीवारी में कैद नहीं है। वह कई ऐसे कार्य करने लगी है जिसमें केवल पुरूषों का वर्चस्व था।

शिवहरे (2009) ने भी इस तथ्य की पुष्टि करते हुए कहा है कि पंचायती राज व्यवस्था के कारण ग्रामीण महिलाओं का सशक्तीकरण ना केवल राजनीतिक वरन् सामाजिक और आर्थिक स्तर पर भी हो रहा है। महिला प्रतिनिधियों के द्वारा बाल विवाह, दहेज प्रथा, बालिका शिक्षा और स्वास्थ्य आदि के विरूद्ध ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता फैलायी है।

कौशिक (2010) ने माना है कि पंचायती राज में कई कमियां है परंतु इसके बाद भी यह ग्रामीणों के जीवन का अहम् हिस्सा बन चुका है। बलवंत राय मेहता ने कहा था कि भारत की जनता निरक्षर है परंतु वह एक महान् संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है और समय आने पर वह अवश्य ही पुनः सशक्त होगी। यदि पंचायती राज व्यवस्था द्वारा ग्रामीणों का पूर्ण क्षमता के साथ उपयोग प्रारंभ किया जाए तो निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्रों का विकास होगा और वह एक अच्छा भविष्य बना पाऐंगे।

फारुख (2010) ने माना है कि महिला सशक्तिकरण में पंचायत की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। पालीवाल एवं पालीवाल (2010) ने भी इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कहा है कि सरकार द्वारा बनाए गए विकास एवं निवारण कार्यक्रमों को स्थानीय स्तर पर लागू करने तथा उससे अपेक्षित परिणाम दिखाने में पंचायती राज संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है।

प्रसाद, नीता (2010) का मानना है कि 73वें तथा 74वें संविधान संशोधन और मनरेगा के कारण पंचायती राज का रूप बदल गया है। इस बदले स्वरूप में महिला एवं पुरूष प्रतिनिधि अपनी भूमिका समान रूप से निभा रहे है। महिला पुरूष प्रतिनिधियों में राजनीतिक सशक्तीकरण का यह प्रारंभ है और इसकी गति धीमी है। इस गति को तेज करने करने के लिए सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक सोच में परिवर्तन करना आवश्यक है।

केन्द्र एवं राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं में ग्राम पंचायत की अहम भूमिका होती है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए राज्य वित्त आयोग ने अनुसूची-11 में उद्धृत 29 कार्यों को करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं को अनुदान देने की सिफारिश की थी, परन्तु आज भी अनुसूची-11 में उद्धृत इन कार्यों में से अधिकांश कार्यों का क्रियान्वयन न तो पंचायतीराज संस्थाओं को सौंपे गये हैं और न ही इसके लिए इन संस्थाओं के लिए वित्त की व्यवस्था की गयी है।

कौशिक (2010) ने पंचायतों को अधिक अधिकार देने की बात कही। उनका मानना है कि पंचायती राज में कम अधिकार मिलने से उसका संपूर्ण लाभ ग्रामीण क्षेत्रों को नहीं मिल पा

रहा है। पंचायती राज के पिछड़ेपन के लिए सरकारी तंत्र, भ्रष्टाचार, निरक्षरता, राजनीतिक चेतना का अभाव, गुटबाजी और साम्प्रदायिकता है।

शशि कुमार (2010) के अनुसार भारतीय संविधान में महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त हैं परंतु फिर भी उनका प्रत्येक क्षेत्र में शोषण होता है। चाहे वह शिक्षा हो, सरकारी सेवा हो अथवा स्वास्थ्य। एक महिला को आगे बढ़ने के लिए कई अवरोधों को तोड़ना पड़ता है। किसी भी महिला को सफलता उतनी आसानी से नहीं मिलती है जितनी एक पुरूष को क्योंकि पुरूष को परिवार और समाज के स्तर पर संघर्ष नहीं करना पड़ता है। जबकि एक महिला को अपने ही परिवार और समाज के विरुद्ध जाना पड़ता है।

बुच (2012) के अनुसार महिलाओं को आगे बढ़ने में सबसे बड़ी समस्या पुरूष प्रधान समाज के साथ महिलाओं की स्वयं की मानसिकता भी है, जिसे परिवर्तित नहीं होने दिया जाता है। महिला सशक्तीकरण की योजनाओं को अन्य योजनाओं के समान महत्व नहीं मिलता है। महिलाओं के कार्यक्रमों का अधिक प्रचार प्रसार नहीं किया जाता है। महिला कार्यक्रमों में केवल खानापूर्ति की जाती है। कुछ समय बाद महिलाओं के लिए बनी योजनाओं को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। चाहे वह उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक विकास आदि से ही क्यों ना जुडे हों।

प्रतिभा (2012) के अनुसार 73वें संविधान संशोधन के उपरांत महिलाओं को पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, प्रधान, जिला परिषद सदस्य तथा जिला प्रमुख के पद प्राप्त हो रहे हैं परंतु इन पदों को प्राप्त करने के उपरांत भी महिलाओं को काफी संघर्ष करना पड़ रहा है। महिला प्रतिनिधियों के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है। उन्हें किसी प्रकार का विशेष प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया जाता है। ऐसे में वह अपने पति और अन्य लोगों पर निर्भर हो जाती है। जो महिलाऐं पुरूषों के विरूद्ध चुनाव लडती है उनका राजनैतिक शोषण होता है। सामाजिक स्तर पर उन्हें मानसिक प्रताड़नाऐं दी जातीं है जिससे वह भविष्य में आगे चुनाव लड़ने का साहस नहीं कर पाती है। महिला सीट पर भी केवल वही महिलाऐं खडी होती हैं जिन्हें अपने परिवार और पति से अनुमति प्राप्त होती है अथवा उन महिलाओं को चुनाव लडवाया जाता है जिनके परिवार से पुरूष सदस्य का वर्चस्व होता है। ऐसे में यदि महिलाऐं जीत भी जाती हैं तो वास्तविक अर्थ में यह उनकी जीत नहीं है और ना ही वास्तविक अर्थ में यह उनका सशक्तीकरण ही है।

निर्मला बुच (2012) का मत है कि महिला सशक्तीकरण के लिए कई योजनाऐं बनाई जा रही है जिससे महिलाओं की क्षमता का विकास हो रहा है। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। वह चुनाव जीत कर पंचायती राज में सहभागिता बढ़ा रही है परंतु

अभी भी वह पूर्ण रूप से मुक्त व स्वतंत्र नहीं हो पायी है क्योंकि ग्रामीण स्तर पर महिला प्रतिनिधियों के पीछे उनके पति और परिवारजन ही फैसले लेते हैं। वह पंचायती राज में केवल एक मुखौटा बनकर रह गई है।

कोचर (2013) का मत है कि समाज में महिलाओं का योगदान दोयम स्तर का नहीं है। उन्हें भी प्रकृति ने उतनी ही क्षमता प्रदान की है जितनी पुरूष को। ग्रामीण स्तर पर महिलाऐं आर्थिक योगदान कर रही है परंतु उनके योगदान को गिना नहीं जा रहा है। ग्रामीण स्तर पर महिलाऐं पशुपालन, खेती और अन्य कार्यों में सहभागिता निभाती है परंतु उनके कार्य को गौण समझा जाता है। आज भी ग्रामीण स्तर पर पितृसत्तात्मक समाज के प्रभाव से उन्हें शिक्षा से वंचित रखा जाता है। सामाजिक कुरीतियों के कारण उनका सामाजिक उत्थान नहीं हो पाता है। कई अंधविश्वासों, कुरीतियों और प्रथाओं ने महिलाओं की स्थिति को दोयम स्तर का बना दिया है। वर्तमान समय में भी खाप पंचायतों का अस्तित्व ग्रामीण स्तर पर सामाजिक शोषण को दर्शाता है। यह भी दर्शाता है कि ग्रामीण स्तर पर आज भी पुरूष महिलाओं को अपने पैरों की जूती समझता है। ऐसी स्थिति में ग्रामीण महिलाओं को सशक्त करना आज भी सरकार और नारीवादियों के लिए चुनौती बना हुआ है।

कश्यप (2013) के अनुसार भारतीय ग्रामीण समाज के विकास में पंचायती राज व्यवस्था ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पंचायती राज संस्थाओं ने ग्रामीणों में उत्तरदायित्व की भावना बढ़ाने, सरकार द्वारा बनाए गए विकास कार्यक्रमों को स्थानीय स्तर पर लागू करने तथा उससे अपेक्षित परिणाम दिखाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पंचायती राज व्यवस्था से ग्रामीण जनता में जागरूकता आई है। पंचायती राज संस्थानों ने ग्रामीण स्तर पर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि, स्वरोजगार, महिला उत्थान, महिला विकास, बालिका शिक्षा, स्वच्छता आदि क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य किया है।

2. शिक्षा के योगदान से संबंधित साहित्य का अध्ययन

तिवारी (2002) ने अपने शोध में हरियाणा में विद्यालय जाने वाली छात्राओं के लिए शिक्षा से सम्बन्धित योजनाओं का अध्ययन किया। प्रस्तुत अध्ययन में जाग्रति मण्डल तथा किशोरी बालिका योजना महत्वपूर्ण योजनाएँ हैं। शोध के 40 गाँवों में 371 बालिकाओं के साक्षात्कार द्वारा विवेचित किया गया है। महिन्द्रगढ़ जिले में महिला साक्षरता 1991 से 2001 तक 36.5 प्रतिशत से 54.61 हो गई। रेवाड़ी जिले में महिला साक्षरता दर 1991-2001 में 46.3

प्रतिशत से 61.45 प्रतिशत तक हो गईं हरियाणा में महिलाओं की साक्षरता दर में वृद्धि पाई गई।

श्रीवास्तव माधवी (2002) ने रीवा जिले में महिला शिक्षा की प्रगति का मूल्यांकन (वर्ष 1956 से 1991) नामक शोध किया। इस अध्ययन के मुख्य उद्देश्यों में महिला उच्च शिक्षा में शोध क्षेत्र में आने वाली समस्याओं एवं अवरोधों की पहचान करना, पुरुष उच्च शिक्षा व महिला उच्च शिक्षा के 8 शोध क्षेत्रों में बेहतर उन्नति के लिए सुझाव देना था।

मंडल, अमल (2003) द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य में अध्ययन किया गया। इनका शोध अध्ययन स्पष्ट करता है कि महिलाओं की पंचायत में निर्णय लेने की प्रक्रिया, उपस्थिति मत स्पष्ट करने, सभा में मुद्दे उठाना एवं उनकी भागीदारी में सन्तुष्टि ध्यान देने योग्य पाई गईं अब वे चुप रहने वाली श्रोता या निर्णय लेने वाली प्रक्रिया में सजावट की तरह नहीं है। यहाँ तक कि उन्होंने गाँव वालों से सम्बन्ध स्थापित करके उनकी माँगों को सराहा और उनकी भरसक प्रयास से सहायता की। अध्ययन बताता है कि महिलाओं पर ज्यादा बेहतर पारिवारिक पृष्ठभूमि पारिवारिक बंधन एवं आधिपत्य का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। शिक्षा, धर्म, आयु, जाति आदि का महिला भागीदारी में कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता है बल्कि प्रारम्भ से ही पंचायतीराज सभा में उनकी उपस्थिति और पंचायत के संस्थागत प्रक्रिया में प्रगति से अनौपचारिक, गतिविधियाँ तथा उनकी प्रगति उत्साह बढ़ाने वाली एवं उल्लेखनीय है।

त्रिपाठी महेन्द्र और कुमार प्रहलाद (2003) ने उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण से सम्बन्धित शोध अध्ययन किया। इसमें बताया गया कि सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत निर्धारित वर्ष 2003 तक सार्वभौमिकता पहुँच एवं नामांकन लक्ष्य पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं किया जा सका है। सार्वभौमिकरण ठहराव एवं गुणात्मक सम्प्राप्ति अभी भी एक प्रमुख चुनौती है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण से स्पष्ट होता है कि 6 से 10 वर्ष तक के ग्रामीण बच्चों में लड़कों एवं लड़कियों की नामांकन प्रतिशत क्रमशः 80 प्रतिशत एवं 57 प्रतिशत है प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य से यह प्रदेश अब भी दूर है। समाज की सहभागिता का अभाव अभिभावकों की निम्न आर्थिक स्थिति शिक्षा में सामाजिक लैंगिक भेद एवं प्राथमिक विद्यालयों में आधारभूत संसाधनों के अभाव को उक्त लक्ष्य प्राप्ति के प्रमुख अवरोधकों के रूप में स्पष्ट किया गया है।

राय, निरंजना (2004), ‘‘इन्डिकेटरर्स ऑफ वीमन्स एम्पॉवरमेंट इन इण्डिया’’ यह शोध अध्ययन भारत के दो राज्यों उत्तरप्रदेश एवं तमिलनाडु में सर्वे के द्वारा 1998-99 में महिलाओं

की सशक्तिकरण से सम्बन्धित सूचनाओं के विश्लेषण पर आधारित है। इन्होंने महिला सशक्तीकरण, शिक्षा, व्यवसाय, पति से आयु अन्तराल, शिक्षा अन्तराल चरों पर विश्लेषण किया। इन्होंने पाया कि तमिलनाडु में महिलाएँ निर्णय सहभागिता, आवागमन में स्वतंत्रता, धन तक पहुँच में अधिक सशक्त थी। इन्होंने यह भी पाया कि शिक्षा के स्तर लिंग भेद में कमी करता है एवं महिला आर्थिक सशक्तिकरण पर धनात्मक प्रभाव डालता है।

गुप्ता, किशोर (2004), ''वीमन्स एम्पॉवरमेंट इन इण्डिया एण्ड इट्स स्टेट्स'' यह शोध अध्ययन भारत के विभिन्न राज्यों में महिला सशक्तिकरण के सर्वे के आधार पर विश्लेषण करता हैं। इसमें 15-49 वर्ष की आयु के मध्य महिलाओं की सूचनाएँ 26 राज्यों से एकत्रित की गई। महिला सशक्तिकरण के लिए पाँच निर्धारकों का विश्लेषण किया गया जो कि क्रमशः महिला की घरेलू कार्य में सहभागिता, लिंग के आधार पर शिक्षा को प्राथमिकता, बच्चों के लिंग को प्रधानता, महिला सशक्तिकरण के विभिन्न स्त्रोतों तक पहुँच तथा महिलाओं की जीवन स्थिति को लिया गया है। इस अध्ययन में पाया कि केरल एवं दिल्ली में महिला शिक्षा का स्तर उच्च है। सभी राज्यों में पुरुषों का शिक्षा स्तर महिलाओं की शिक्षा से उच्च है। वहीं राजस्थान एवं बिहार में महिलाओं की स्थिति बहुत खराब है। यहाँ तीन में से दो महिलाएँ निरक्षर है। कुछ राज्यों (दिल्ली एवं गोवा) में महिलाओं की स्थिति अन्य राज्यों की तुलना में अच्छी है, फिर भी भारत के सभी राज्यों में महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता है।

वेद, दिव्या (2004), ''जेंडर इक्यूविलिटी इन एज्यूकेशनल ट्रांजिशन'' यह शोध अध्ययन भारत में शिक्षा के स्तर में विभिन्नता के कारणों का विश्लेषण करता है। इस अध्ययन में प्रथम उन कारकों जो कि सामाजिक क्षेत्र से वंचित लड़के एवं लड़कियों की शिक्षा को प्रभावित करते हैं, द्वितीय उन कारणों को जिसमें लड़कियों के साथ शैक्षणिक स्तर की प्रत्येक स्थिति में असमान व्यवहार का विश्लेषण करता है। इस अध्ययन में राष्ट्रीय चुनाव अध्ययन (1996) के द्वारा किए गए सर्वे से एकत्रित सूचनाओं का विश्लेषण किया गया है। स्कूली शिक्षा बच्चों के विकास में बहुत ही लाभदायक है, लेकिन भारत में बच्चे विशेषतः लड़कियाँ इस शिक्षा से वंचित हैं सरकार एवं स्थानीय संस्थाओं द्वारा इस शिक्षा के स्तर में असमानता को कम करने हेतु काफी प्रयत्न किए गए हैं, लेकिन शिक्षा के स्तर पर लिंग, जाति, वर्ग तथा धर्म जैसे कारकों का प्रभाव पड़ता है। इस अध्ययन में पिता की आय, जाति, पारिवारिक, सामाजिक एवं आर्थिक स्तर, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र आदि चरों विश्लेषण किया गया है। इन्होंने पाया कि जाति स्कूल शिक्षा में बाधक नहीं है, लेकिन आय वर्ग स्कूल शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण घटक हैं निम्न जाति में निम्न वर्ग के उत्तरदाता लड़कों की शिक्षा में विनियोग के पक्ष में थे, लेकिन लड़कियों की शिक्षा में विनियोग

के विपक्ष में थे। इन्होंने अध्ययन में पाया कि माता-पिता की शिक्षा, धर्म एवं क्षेत्र (शहरी या ग्रामीण) का बच्चों की स्कूल शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है।

शर्मा, रुचिता, शुभांगना एवं नागर (2007) ने एक्सटेंट ऑफ फीमेल स्कूल ड्रॉप आउट इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश में राज्य के कांगड़ा जिले में बालिकाओं के ड्राप आउट के उत्तरदायी कारणों का पता लगाया। अध्ययन के निष्कर्ष ने परिवार का आकार, आयु, माता की शिक्षा तथा ड्रॉप आउट में सार्थक सम्बन्ध पाया गया। कक्षावार तथा वर्षवार विश्लेषण में पिछले दो वर्षों में ड्रॉप आउट दरों की अवरोही प्रवृत्ति को प्रदर्शित किया। छात्राओं के कम नामांकन तथा अत्यधिक ड्रॉप आउट को प्रभावित करने वाले कारकों ने अभिभावकों का दृष्टिकोण शिक्षा व्यवहार छात्राओं की शिक्षा में रुचि का अभाव, द्वितीय तनाव बालिकाओं की पारिवारिक कार्यों में आवश्यकता है।

क्लोट्स फिगेराज इरमा (2011), ''वीमन इन पॉलिटिक्स'', यह शोध अध्ययन 16 बड़े राज्यों के 1967-2000 तक के डेटा के आधार पर किया गया, इस अध्ययन में यह पाया गया कि महिलाओं की जाति किस प्रकार से नीति और सामाजिक कार्यों पर प्रभाव डालती है। अध्ययन में पाया कि महिलाएँ, प्राथमिक शिक्षा और सामाजिक कार्यों पर ज्यादा ध्यान देती हैं, दूसरी ओर सामान्य महिलाएँ उच्च शिक्षा की ओर ज्यादा ध्यान देती हैं, की महिलाएँ, महिलाओं के अनुकूल बनने वाले कानून एवं भूमि सुधार में सामान्य महिलाओं की तुलना में ज्यादा सहयोग देती हैं।

धानी, सय्यैद इजाज, मणी आनन्दी, डी. ओ. कोनेल स्टीफन (2013), ''केन पॉलिटिकल इम्पॉवरमेंट हेल्थ इकोनोमिक डवलपमेंट? विमन लिडर्स एण्डुीमैल लेबर्स पार्टिसिपेशन इन इण्डिया'', भारत में किये गये इस शोध अध्ययन में पाया कि पंचायत का नेतृत्व जब महिलाएँ करती हैं तो राज्य की योजनाएँ जैसे-मनरेगा में काम करने वाली महिलाओं की संख्या में बढ़ोतरी होती है। अध्ययन में पाया गया कि महिला नेतृव होने पर श्रम बाजार में महिलाओं के लिए काम के अवसरों की आपूर्ति और माँग दोनों में बढ़ोतरी होती है।

बुच्री फ्रांसेस्को (2013), ''वीमन्स पॉलिटिकल रॉल एण्ड पॉवर्टी इन दा एजूकेशनल हाईमेन्सन ए डिस्ट्रीक्स लेवल एनालिसिस इन इण्डिया'', इस शोध अध्ययन में पाया गया कि महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व में 10 प्रतिशत बढ़ोतरी होने पर बच्चों के प्राथमिक स्तर की शिक्षा पूरी करने की सम्भावना 5.9 प्रतिशत बढ़ जाती है। अध्ययन में यह भी पाया गया कि महिला प्रतिनिधित्व होने पर लड़कों की तुलना में लड़कियों की शिक्षा में काफी बढ़ोतरी हुई।

शर्मा, राजकुमार एवं पंकज (2014), "वीमन एम्पॉवरमेंट इन पंचायती-राज इन्स्टीट्यूट", यह शोध अध्ययन हिमाचल प्रदेश के सोलन और खण्डाघाट जिलों में किया गया है। अध्ययन में पाया गया है कि माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक स्तर की शैक्षिक योग्यता रखने वाली महिलाओं की पंचायतों में अधिक सहभागिता है। साक्षर एवं प्राथमिक स्तर की महिलाएँ भी पंचायतों में सहभागिता रखती है। यह पाया गया कि साक्षर महिलाओं का नकारात्मक प्रभाव रहता है, क्योंकि उन्हें सरकारी कामकाज करने में परेशानी आती है।

गजवानी, किरण एवं जॉग जायोबो (2015), "जेन्डर एण्ड पब्लिक गुड्स प्रोविजन इन तमिलनाडु विलेज गर्वमेन्ट्स", यह शोध अध्ययन तमिलनाडु की 144 ग्राम पंचायतों में किया गया है। इस अध्ययन में पाया गया कि यदि पुरुष सरपंच होता है तो ग्रामीण विकास तथा शैक्षिक कार्य अधिक होते हैं तथा सुचारू रूप से किये जाते हैं। अध्ययन में पाया कि महिला सरपंच ग्रामीण विकास तथा शैक्षिक कार्य पुरुष सरपंचों की तुलना में कम कर पाती है। विकास कार्य कम करने का कारण यह पाया गया कि ग्राम पंचायतों के कार्याेें की जानकारी कम होती है तथा उच्च अधिकारियों से सम्पर्क भी कम कर पाती है।

3.0.0. समस्या का औचित्य

समाज में महिलाऐं कई क्षेत्रों में सहभागिता बढा रही है। इस सहभागिता में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान है परंतु आज भी महिलाओं की सहभागिता की गति बहुत कम है। महिलाओं को किसी भी क्षेत्र में आगे आने के लिए और अपना नाम करने के लिए कई समस्याओं का सामना करना पडता है। पिछडे और ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं की स्थिति तो और भी अधिक विकट है। इसलिए प्रस्तुत शोध के माध्यम से महिलाओं की शिक्षा के क्षेत्र में आने वाली समस्याओं को जानने के साथ उसके योगदान को प्रस्तुत किया जाएगा। इसके साथ ही महिलाओं का विभिन्न क्षेत्रों जैसे राजनीति, आर्थिक, सामाजिक.सांस्कृतिक और खेल जैसे क्षेत्रों में योगदान में शिक्षा के महत्व को जाना जाएगा। इससे शोध से निकलने वाली समस्याओं का समाधान प्रस्तुत होगा और यह शोध आगे महिलाओं की सहभागिता हेतु बनने वाली योजनाओं में पथ प्रदर्शक सिद्ध हो सकता है।

4.0.0. समस्या कथन

समाज के विभिन्न क्षेत्रों में महिला सहभागिता एवं शिक्षा का योगदान: एक अध्ययन

महिला सहभागिता: . किसी भी कार्य क्षेत्र में सक्रिय भूमिका का निवर्हन सफलतापूर्वक करना सहभागिता कहलाता है। महिलाओं का राजनीतिकए आर्थिकए सामाजिक और अन्य क्षेत्रों में योगदान देना और अपनी भूमिकाओं को सफलतापूर्वक निभाना महिला सहभागिता कहलाता है।

शिक्षा का योगदान: . किसी भी क्षेत्र में सफलतापूर्वक सहभागिता हेतु आयु, लिंग, समाज, परिवार और शिक्षा की भी भूमिका रहती है। महिला सहभागिता में शिक्षा की भूमिका को शिक्षा का योगदान कहा जाता है।

5.0.0. शोध के उद्देश्य

1. समाज में महिलाओं की आर्थिक क्षेत्र में भागीदारी का अध्ययन करना।

2. समाज में महिलाओं की कला क्षेत्र में भागीदारी का अध्ययन करना।

3. समाज में महिलाओं की राजनीति क्षेत्र में भागीदारी का अध्ययन करना।

4. समाज में महिलाओं की सामाजिक क्षेत्र में भागीदारी का अध्ययन करना।

5. महिलाओं की विभिन्न क्षेत्रों में भागीदारी में शिक्षा की भूमिका का पता लगाना।

6. महिला सशक्तीकरण में आने वाली समस्याओं और समाधानों का पता लगाना।

6.0.0. शोध परिकल्पनाऐं

1. महिलाओं की राजनीतिक क्षेत्र में सहभागिता और शिक्षा के मध्य कोई सार्थक अंतर नहीं है।

2. महिलाओं की आर्थिक क्षेत्र में सहभागिता और शिक्षा के मध्य कोई सार्थक अंतर नहीं है।

3. महिलाओं की कला क्षेत्र में सहभागिता और शिक्षा के मध्य कोई सार्थक अंतर नहीं है।

4. महिलाओं की सामाजिक क्षेत्र में सहभागिता और शिक्षा के मध्य कोई सार्थक अंतर नहीं है।

5. ग्रामीण व शहरी महिलाओं की सहभागिता के मध्य कोई सार्थक अंतर नहीं है।

6. ग्रामीण व शहरी महिलाओं की सहभागिता और समस्याओं के मध्य कोई सार्थक अंतर नहीं है।

प्रस्तावित शोध निम्नलिखित प्रकार से होगा:

7.0.0. आकल्प

प्रस्तुत शोध हेतु अन्वेषणात्मक शोध आकल्प का चयन किया गया है। जब शोधकर्त्ता अनुसंधान 'कार्य-कारण' के उद्देश्य के आधार पर करता है, तब वह अपनी विषय वस्तु के अध्ययन के लिए अन्वेषणात्मक शोध प्रारूप का उपयोग करता है अर्थात् वह व्यवस्थित विधि जिसके अंतर्गत शोधकर्त्ता समस्या या घटना के बारे में 'कार्य-कारण' संबंधों को खोजना है, नवीन अवधारणाओं एवं प्राकल्पनाओं का निर्माण करता है तथा अज्ञात तथ्यों/विषयों के संबंधों में वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करता है इसको अन्वेषणात्मक अनुसंधान प्ररचना की संज्ञा दी जाती है। इस अनुसंधान प्ररचना में शोध कार्य की रूपरेखा इस प्रकार बनाई जाती है कि सामाजिक प्रघटना की प्रकृति, स्वरूप एवं प्रक्रियामूलक पक्षों से संबंधित वास्तविकताओं का अन्वेषण किया जा सके। यह अनुसंधान समस्या के कारणों, प्रभाव, संबंध आदि को स्पष्ट करने के साथ-साथ विषय से परिचित भी करवा देती है।

7.1.0. शोधविधि

प्रस्तुत शोध में सर्वेक्षणात्मक शोध विधि का उपयोग किया जाएगा।

मोर्स ने सर्वेक्षण के बारे में कहा है कि सर्वेक्षण किसी विशेष सामाजिक परिस्थिति, समस्या या जनसंख्या का वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित रूप में विश्लेषण करने की केवल एक पद्धति है।

सर्वेक्षण के कार्य:

- सामाजिक तथ्यों का संकलन
- सामाजिक समस्याओं का अध्ययन
- कार्य कारण संबंधों की खोज
- समाज सुधार

प्रस्तुत अध्ययन कार्य के लिए सर्वेक्षण पद्धति का चयन पूर्णतया वैज्ञानिक है। इसके अन्तर्गत तथ्यों की व्यवस्थित और वैज्ञानिक रूप से एकत्रित करने के लिए उन सभी चरणों का प्रयोग किया गया है। जो वैज्ञानिक पद्धति से संबंधित है। सर्वेक्षणकर्ता जब कभी भी किसी समूह, समुदाय अथवा समस्या से संबंधित तथ्यों का एकत्रितकरण करेगा, तो इस काल में उसके निजी विचारों अथवा भावनाओं का कोई महत्व नही होगा है। सर्वेक्षण के आधार पर एकत्र किया गया तथ्य और परिणाम भी वैज्ञानिक नियमों के अनुसार होंगे।

इस विवेचन से स्पष्ट होता है कि सामाजिक, सर्वेक्षण का संबंध सामाजिक जीवन के किसी एक पक्ष, विषय घटना अथवा समस्या से संबंधित तथ्यो के संकलन और विश्लेषण की प्रक्रिया है। जहाँ तक सामाजिक सर्वेक्षण की परिभाषा का प्रश्न है। विद्वानों ने सामाजिक सर्वेक्षण के उद्देश्यों तथा प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए सर्वेक्षण की परिभाषा दी है। जिसमें विद्वानों ने तीन दृष्टिकोण को ध्यान में रखा हैं।

1. सामाजिक सर्वेक्षण एक वैज्ञानिक पद्धति के रूप में।
2. सामाजिक सर्वेक्षण सामाजिक जीवन की सामान्य घटनाओ के अध्ययन के रूप में।
3. सामाजिक सर्वेक्षण प्रगति एवं सुधार के रूप में।

कुछ विद्वान सामाजिक सर्वेक्षण को एक ऐसे अध्ययन के रूप में परिभाषित करने के पक्ष में हैं जिसकी सहायता से सामाजिक जीवन की सामान्य घटनाओ को प्रकाश में लाया जा सके। इस संबंध में ए० एफ० बेल्थ ने कहा है कि साधारण सामाजिक सर्वेक्षण एक क्षेत्र के विशेष मे रहने वाले व्यक्तियों तथा सामाजिक संस्थाओं के क्रिया.कलापों के अध्ययन के लिए किया जाता है।

7.2.0. चर

स्वतंत्र चर:- . शिक्षा का योगदान।

आश्रित चर:- . महिलाओं का योगदान।

7.3.0. जनसंख्या

शोध में जनसंख्या का अर्थ भिन्न होता है, जनसंख्या का तात्पर्य संपूर्ण इकाइयों के निरीक्षण से होता है। इसमें से कुछ इकाइयों का चयन करके न्यादर्श बनाया जाता है। न्यादर्श की इकाइयों का निरीक्षण तथा मापन करके जनसंख्या की विशेषताओ के सम्बंध में अनुमान लगाया जाता है।

करौली जिले व भरतपुर संभाग की सभी महिलाओं को जनसंख्या के रूप में लिया जाएगा।

7.4.0. न्यादर्श

किसी भी अनुसंधानकर्त्ता के लिए यह संभव नहीं है कि वह पूरे जनसंख्या के सभी व्यक्तियों को अपनी खोज का विषय बना सके। इसलिए जनसंख्या में से कुछ इकाइयों का

चयन किया जाता है जोकि समग्र का प्रतिनिधित्व करे और जिन पर किए गए अध्ययन के आधार पर समग्र के लिए निष्कर्ष निकाले जा सकें। अध्ययन के लिए चयनित व्यक्तियों के ऐसे समूह को न्यादर्श कहते है। न्यादर्श किसी भी अनुसंधान कार्य की आधारशिला है यह आधारशिला जितनी सुदृढ़ होगी अनुसंधान के परिणाम उतने ही विश्वसनीय एवं परिशुद्ध होंगे।

न्यादर्श की परिभाषाऐं

गुडे एवं हाट के अनुसार - 'एक प्रतिदर्श जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है एक विस्तृत समूह का एक अपेक्षाकृत लघु प्रतिनिधि है।'

यंग के अनुसार - 'एक सांख्यिकी न्यादर्श उस संपूर्ण अथवा योग या अति लघुचित्र है।' जिससे न्यादर्श लिया गया है।

न्यादर्श की विधियाँ

(क) संगणना विधि द्वारा (ख) निदर्शन विधि से।

संगणना विधिः- तथ्य संकलन की यह विधि अत्यंत प्राचीन है। इस विधि में समग्र की सभी इकाइयों से अध्ययनकर्त्ता प्रत्यक्ष संपर्क करके साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग करके संबंधित इकाइयों से तथ्य संकलित करता हैं। यद्यपि इस विधि द्वारा तथ्य संकलन में समय, धन एवं श्रम तीनों ही अधिक लगते हैं लेकिन फिर भी आज जिन विषयों के बारे में पूर्ण शुद्ध जानकारी की आवश्यकता होती हैं वहां आज भी इस विधि द्वारा तथ्य संकलित किए जाते हैं। जैसे हमारे देश में प्रति दस वर्ष बाद की जाने वाली जनगणना में आज भी इस विधि का प्रयोग किया जाता है।

निदर्शन विधिः- जब अध्ययन हेतु समग्र में से कुछ प्रतिनिधित्वपूर्ण इकाइयों का चयन करके उन इकाइयों से ही शोधकर्त्ता तथ्य संकलित करता है तो इस विधि को निदर्शन विधि कहते हैं। आज हमारे दैनिक जीवन में इस विधि का प्रयोग हर क्षेत्र में किया जा रहा हैं। गुडे एवं हट्ट के अनुसार ''एक निदर्शन जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट होता हैं कि एक विस्तृत समूह का एक लघुत्तर प्रतिनिधि हैं।'' इसी प्रकार बोगार्डस ने बताया कि ''निदर्शन एक पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार इकाइयों के एक समूह में से निश्चित प्रतिशत का चयन है।''

अतः इस विधि में समग्र में से कुछ प्रतिनिधित्वपूर्ण इकाइयों को ही शोधकर्त्ता अपने अध्ययन में सम्मिलित करता हैं।

निदर्शन विधियाँ:-

(क) दैव निदर्शन:- इस विधि में समग्र की प्रत्येक इकाई के निदर्शन में सम्मिलित होने की संभावना समान होती है। यह निदर्शन चुनने की एक पक्षपात रहित विधि है। इस विधि में एक इकाई के चुनाव में अन्य इकाई का कोई प्रभाव नहीं पडता है अथवा इकाई का चुनाव संयोग या दैव पर छोड दिया जाता है।

(ख) उद्देश्यपूर्ण या सविचार निदर्शन:- जब अनुसंधानकर्त्ता समग्र में से अध्ययन के उद्देश्यों को पूरा करने वाली इकाइयों का ही चयन इस प्रकार करके तथ्यों को प्राप्त करता है तो इस विधि को उद्देश्यपूर्ण निदर्शन कहते हैं अर्थात् समग्र में से इस प्रकार इकाइयों के चुनाव में चुनने वाले की इच्छा, उसका निर्णय तथा शोध का उद्देश्य ही प्रधान होता है। संयोग या दैव पर कुछ भी नहीं छोडा जाता है। प्रस्तुत अध्ययन में शोधार्थी ने इस विधि को इकाइयों के चयन में उपयुक्त मानते हुए काम में लिया है।

(ग) स्तरित निदर्शन:- जब शोध समस्या से संबंधित समग्र को कुछ समान लक्षणों एवं गुणों वाली श्रेणियों में बाँट कर प्रत्येक वर्ग में से दैव निदर्शन विधि द्वारा कुछ इकाइयों का चयन करके अध्ययन किया जाता है।

(घ) बहुस्तरीय निदर्शन:- जब अध्ययन इकाइयों के चयन के लिए समग्र को अनेक स्तरों में गुणों एवं लक्षणों के आधार पर बाँट दिया जाता है और फिर इकाइयों का चयन हर स्तर से किया जाए तो इस विधि को बहुस्तरीय निदर्शन कहते हैं इस विधि द्वारा बडे नगर की समस्याओं का अध्ययन किया जाता हैं।

(ङ) सुविधापूर्ण निदर्शन:- जब शोधकर्त्ता समग्र में से अध्ययन हेतु इकाइयों का चयन अपनी सुविधानुसार करता है तो ऐसा निदर्शन सुविधापूर्ण निदर्शन कहलाता है। ऐसा शोधकर्त्ता शोध कार्य के दौरान होने वाली विभिन्न असुविधाओं से बचने के लिए करता है।

(च) स्वयं चयनित निदर्शन:- जब अध्ययन हेतु इकाइयों का चुनाव शोधकर्त्ता द्वारा नहीं किया जाए, इकाइयाँ अध्ययन हेतु अपने आप ही चयनित हो जाए तो ऐसा निदर्शन स्वयं चयनित निदर्शन होता है।

अदैव निदर्शन पद्धति का उपयोग करते हुए 450 महिलाओं का चयन किया जाएगा जिसमें 150 महिला राजनीतिक क्षेत्र में सहभागिता प्रदान करने वाली 150 महिलाऐं आर्थिक क्षेत्र में सहभागिता देने वाली और 150 महिलाऐं सामाजिक व कला क्षेत्र में सहभागिता देने वाली होंगी।

7.5.0. स्त्रोत - प्राथमिक स्त्रोत

प्राथमिक स्त्रोत वह स्त्रोत हैं जिनसे प्राथमिक तथ्यों या सामग्री को प्राप्त किया जाता है तथा प्राथमिक तथ्य वे सूचनाएँ, आंकडे हैं जिन्हें शोधकर्त्ता अपने अध्ययन हेतु स्वयं संकलित करता है।

शोध में महिला सहभागिता और शिक्षा के योगदान से संबंधित जानकारी प्राथमिक तथ्यों के रूप में संकलित की जाएगी।

प्राथमिक तथ्यों के संकलन के लिए शोधकर्त्ता को किन्हीं शोध प्रविधियों पर निर्भर होना पडता है। प्रस्तुत अध्ययन में चयनित उत्तरदाता शिक्षित हैं इसलिए इस अध्ययन में संपूर्ण रूप से साक्षात्मकार अनुसूची को तथ्य संकलन के लिए एक उचित विधि के रूप में प्रयोग किया गया है।

7.6.0. आंकड़ों की प्रकृति (मात्रात्मक)

प्रस्तुत शोध में आंकडों की प्रकृति मात्रात्मक होगी। मात्रात्मक आंकडों में तथ्यों का विश्लेषण सांख्यिकी रूप में किया जाएगा।

7.7.0. उपकरण

शोध कार्य में उपकरणों का विशिष्ट स्थान है जिनके माध्यम से अनुसंधान के तथ्यों का संकलन किया जाता है। इन्हीं उपकरणों के सहारे शोधकर्त्ता अपने उद्देश्यों की प्रगति कर सकता है। अनुसंधान के लिए समस्या के निश्चय एवं परिकल्पना निर्माण के पश्चात् परिकल्पना परीक्षण के लिए आंकडों के संग्रहण हेतु उपकरणों का चुनाव किया जाता है। वस्तुतः अनुसंधान समस्या का आरंभ होता है तथा परिकल्पना की प्रकृति के अनुरूप उपकरणों का निश्चय किया जाता है। प्रत्येक उपकरण विशेष आंकडे एकत्र करने हेतु उपयुक्त होता है।

शोध में स्वनिर्मित उपकरणों का उपयोग किया जाएगा।

7.8.0. सांख्यिकी

अध्ययन में प्रयुक्त सांख्यिकी विधियां -

- मध्यमान
- प्रमाणिक विचलन
- क्रान्तिक अनुपात .

7.9.0. शोध प्रक्रिया

प्रथम चरण . शोध समस्या से संबंधित द्वितीयक तथ्यों और साहित्य का विश्लेषण किया जाएगा।

द्वितीय चरण . शोध उद्देश्यों के आधार पर स्वनिर्मित उपकरणों का निर्माण कर उनकी विश्वसनीयता और प्रमाणीकता की जांच की जाएगी।

तृतीय चरण . शोध न्यादर्श के आधार पर उत्तरदाताओं का चयन किया जाएगा।

चतुर्थ चरण . उपकरणों को न्यादर्श पर प्रशासित करते हुए प्राथमिक तथ्यों का संकलन किया जाएगा।

पंचम चरण . प्राथमिक तथ्यों पर सांख्यिकीय सूत्रों का उपयोग कर विश्लेषण किया जाएगा।

षष्ठम चरण . विश्लेषण के उपरांत परिकल्पनाओं की सत्यता के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाएगा।

7.10.0. परिसीमन

प्रस्तुत शोध करौली जिले व भरतपुर संभाग की महिलाओं की विभिन्न क्षेत्रों में सहभागिता एवं शिक्षा के योगदान तक ही सीमित होगा।

8.0.0. शोध अध्ययन का अध्याय संक्षेप

प्रथम अध्याय समस्या की पृष्ठभूमि

- प्रस्तावना
- समस्या का औचित्य
- समस्या कथन
- शोध समस्या से उभरने वाले प्रश्न
- शोध के उद्देश्य
- शोध की परिकल्पनाएं
- शोध परिसीमन
- संदर्भ

द्वितीय अध्याय सम्बन्धित साहित्य का पुनरावलोकन

- संबंधित साहित्य का पुनरावलोकन
- संदर्भ

तृतीय अध्याय अध्ययन की योजना एवं कार्यविधि

- अध्ययन में प्रयुक्त शोध विधि
- शोध के चर
- शोध में प्रयुक्त उपकरण
- जनसंख्या
- न्यादर्श
- अध्ययन में प्रयुक्त सांख्यिकी
- संदर्भ

चतुर्थ अध्याय आंकड़ों का विश्लेषण एवं व्याख्या

- आंकड़ों का सारणीबद्ध विश्लेषण, व्याख्या एवं ग्राफीकल चित्रण
- संदर्भ

पंचम् अध्याय निष्कर्ष एवं सुझाव

- शोध के निष्कर्ष
- शोध के शैक्षिक निहितार्थ
- भावी शोध हेतु सुझाव

- संदर्भ

शोध सारांश

ग्रंथ सूची

परिशिष्ट

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. एलिस एम. सेहालेम, ''वूमन रिटर्निंग टू वर्कः पॉलिसी एंड प्रोग्राम इन फाइव कन्ट्रज'' राउटलेज प्रकाशन, 1990

2. अखण्ड ज्योति

3. अरोड़ा डॉ. रेणु सूद, डॉ. एस.के. कुमार, डॉ. विजय (2004)- उद्‌यमीकरण के मूल सिद्‌धांत, कल्याणी पब्लिशर्स नई दिल्ली

4. आहुजा, राम (1999) भारतीय सामाजिक व्यवस्था, रावत प्रकाशन जयपुर, नई दिल्ली।

5. अल्टेकर, ए0एस0 (1956) द पोजीशन ऑफ वोमेन इन हिन्दु सिविलाइजेशन, मोतीलाल बनारसी लाल, वाराणसी

6. बी.के. पॉल; ''प्राब्लम्स एंड कार्न्सनस् ऑफ इंडियन वूमन'' पैरेग्राइन पब्लिकेशन, 1987

7. बासोबी सरकार; ''वर्किंग मदर्स एंड एडोलसैंट वेल बिइंग'' सर्किल बुक, 1994

8. बेगलर,ऐलसी., सेक्स, स्टेटस एंड ऑथोरिटी, अमेरिकन एन्थ्रोपॉलॉजिस्ट, 1978

9. भाटिया,विमल; 'लडकी को जन्मते ही मारने की कुप्रथा', महिला सशक्तीकरण,सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय,राजस्थान सरकार,2006.

10. भारत (2007) - प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली

11. भारतीय संविधान,अनु0 14,15,16,19,21,23,39

12. क्वैनन, नौमी., 'एन्थ्रोपॉलॉजीकल स्टडीज ऑन विमिन्स स्टेटस', एनुअल रिव्यू ऑफ एन्थ्रोपॉलॉजी.,6 1977.

13. चेतना कालबाग; ''वूमन एंड डेवलपमेंट'' जे.एच.यू. प्रेस, 1991

14. एम्बर,कोरल; हैंड बुक ऑफ क्रॉस कल्चरल ह्ूमन डेवलपमेंट, न्यूयार्क, गारलेंड, 1981.

15. गिरी, वी. मोहिनी; ‘‘एमेन्सीपेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ वूमन’’ ज्ञान पब्लिकेशन हाउस, नई दिल्ली, 1998

16. गाँधी, डॉ. पी.के. (1990) - खनन पर्यावरण और प्रबंध, उत्सव प्रकाश 5-3, नागपुर गंगेले

17. डॉ. ए.के. एवं जैन, डॉ. जे.के. (2006) उद्यमिता विकास, म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी भोपाल

18. गौतम हरेन्द्र राज , महिला अधिकार संरक्षण , कुरूक्षेत्र मार्च 2006

19. गुप्ता कमलेश कुमार, महिला सशक्तिकरण,बुक एनक्लेव, जयपुर

20. जोशी, पुष्पा (1988) गांधी आन वोमन, सेन्टर फार वोमनश्स डेवलपमेन्ट स्टडीज, दिल्ली

21. जोसेफ, मौली; ‘‘वूमन पार्टीसिपेशन एंड डेवलपमेट स्ट्रेटजी’’ राउटलेज पब्लिकेशन, 2013

22. जैन एम.के. (1999) -उद्यमिता, दीपक प्रकाश ग्वालियर

23. जैन डॉ., बी.एम. (2003) -रिसर्च मेथ्डोलॉजी, कालेज बुक डिपो, जयपुर

24. कबीर, डॉ. एस.ए. -रिसर्च मेथ्डोलॉजी, इन कामर्स एण्ड बिजिनेस

25. कुलश्रेष्ठ डॉ. आर.एस. (2001) - औद्योगिक अर्थशास्त्र, साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा

26. लिब्रा, जोएस; ‘‘वूमन एंड वर्क इन इंडिया कन्ट्यूनिटी एंड चैंज’’ प्रोमिला एंड पब्लिशर्स, नई दिल्ली, 2004

27. लिला लीबोविट्ज, फीमेल्स, मेल्स, फेमिलीज्ःए बायोसोशियल एप्रोच, डक्सबरी, 1978.

28. लीना कस्तुरी, सुलभा व रेनना झाबवला; ‘‘वूमन वर्कर्स इन इंडिया’’ अनमोल पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2010

29. महाजन, धर्मवीर और महाजन, कमलेश; ‘‘कंटेम्पररी इंडियन वूमन’’ दीप प्रकाशन, नई दिल्ली, 1996

30. मीड, ‘सेक्स एंड टेम्परामेंट इन थ्री प्रिमिटिव सोसाइटीज’, प्रेन्टाइस हॉल न्यूयार्क, 1935

31. माथुर, दीपा; ‘‘फैमिली एंड वर्क’’ रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर, 1992

32. मार्टिन, फीमेल ऑफ द स्पीशिज, न्यूयार्क, कोलंबिया यूनिवर्सिटी प्रेस, 1975

33. मेत्रा, अंजना; "वूमन इन ए चेन्जिग सोसाइटी" कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय प्रेस, 1985

34. मैकोबी,इलेनर एंड जैकलिन, कोरल; द सायकोलॉजी ऑफ सेक्स डिफ्रेंसेज, स्टेनफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 1974.

35. मैक्डोवैल,नैन्सी; 'मुंडुगमारू', प्रेन्टाइस हॉल, न्यूयार्क, 1998.

36. मिश्र, जयशंकर (2006) प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास, बिहार हिन्दी ग्रंथ अकादमी,पटना

37. मिश्रा, ए.डी., "प्राब्लम्स एंड प्रोस्प्ेक्टस ऑफ वर्किंग वूमन इन अरबन इंडिया" मित्तल पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 1994

38. मिश्रा, डॉ. इन्दिरा (2000) गरीब महिलायें, उधान एवं रोजगार, किताबघर प्रकाशन, नई दिल्ली

39. प्रमिला कुमार (2004)- मध्यप्रदेश का भौगोलिक अध्ययन, म.प्र. हिन्दी गं्रथ अकादमी, भोपाल प्रतिवेदन, गजेटियर एवं अन्य।

40. पन्निकरण, के.एम. -हिन्दू समाज निर्णय के द्वार पर

41. पी.डी. साकिया; "इंडियन रूरल वूमन" रावत पब्लिकेशन, जयपुर, 2016

42. पाण्डेय, डॉ. गणेश पाण्डेय, अरुणा (2005) - शोघ प्रविधि, राधा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली

43. फाल्गुनी;'बेटियों की धडाधड गिरती जनसंख्या सोचनीय',महिला सशक्तीकरण,सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय,राजस्थान सरकार,2006.

44. फलेन्द्र के. सूडान; "वूमन एट वर्क" अनमोल पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 1990

45. फलेन्द्र के. सूडान; "वूमन वर्कर्स इन इंडिया" अनमोल पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 1991

46. राजकुमार डा0 नारी के बदले आयाम ,अर्जुन पब्लिशिंग हाउस 2005

47. सिंह करण बहादुर ,महिला अधिकार व सशक्तिकरण ,कुरूक्षेत्र , मार्च 2006

48. सिन्हा, एम. (1995) - मध्यप्रदेश डिस्ट्रिक्ट गजेटियर, छिंदवाड़ा

49. सिन्हा, डॉ. व्ही. सी. एवं सिन्हा डॉ. पुष्पा (2006)- भारतीय अर्थव्यवस्था, साहित्य भवन पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, आगरा

50. श्रीनिवास, एम0एन0 (1978) द चेन्जिग पोजीशन ऑफ इण्डिया वूमन, आक्सफोर्ड, यूनिवर्सिटी प्रेस, बाम्बे

51. शर्मा एवं सोलंकी (2001) - मध्यप्रदेश सामान्य ज्ञान एक दृष्टि में, उपकार प्रकाशन, आगरा।

52. शर्मा प्रज्ञा-महिला विकास और सशक्तिकरण, आविष्कार पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स जयपुर

53. शर्मा, डॉ. राजेन्द्र (2004) - व्यावसायिक प्रबंध के सिद्धांत तथा उद्यमिता, कैलाश पुस्तक, सदन भोपाल

54. शैलजा नागेन्द्र , वोमेन्स राइट्स , ए डी वी पब्लिशर्स जयपुर , 2006

55. सक्सेना, रणवीर (1982) - संदर्भ मध्यप्रदेश, लाभचंद्र प्रकाशन, इंदौर

56. सुई एलेन जेकोब्स और क्रिस्टाइन रोबर्टस, सेक्स, सेक्सुलिएटी, जेंडर एंड जेंडर वेरिएंस, वाशिंगटन, 1989.

57. सुधा, जी.एस. (2006)- उद्यमिता के मूलाधार, रमेश बुक डिपो, जयपुर

58. सुरेश लाल श्रीवास्तव, राष्ट्रीय महिला आयोग, कुरूक्षेत्र, मार्च 2007

59. सेन अमत्र्य (1993) - भारत विकास की दिशाएँ, प्रकाशक राजपाल एण्ड संस, कश्मीरी गेट, दिल्ली

60. तिवारी, व्ही.के. (1997) - भारत का जनसंख्या भूगोल, हिमालया पब्लिशिंग हाऊस न्यू देहली

61. त्रिवेदी एवं शुक्ला (2003) - रिसर्च मेथ्डोलॉजी, कॉलेज बुक डिपो, जयपुर

62. विनय,ठाकुर; 'बेटिया बोझ नही,ं ताकत हैं।',महिला सशक्तीकरण,सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय,राजस्थान सरकार,2006.

63. व्यास, जय प्रकाश, नारी शोषण, ज्ञानदा प्रकाशन , 2003

64. व्हाइटिंग,बीटराइस एंड एडवर्ड,कारोलेन; ए क्रॉस कल्चरल एनालिसिस ऑफ सेक्स डिफ्रेंसेज इन द बिहेव्हियर ऑफ चिल्ड्रन एज्ड श्री थ्रो इलेवन, जरनल ऑफ सोशल सायकोलॉजी, 1973

65. व्हाइट, द स्टेटस ऑफ वीमिन इन प्रीइंडस्ट्रीयल सोसायटी, प्रीस्टन यूनिवर्सिटी प्रेस, प्रीस्टन, 1978